न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 635/2022

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कालूराम छिम्पा पुत्र दौलतराम जाति छिम्पा निवासी नगराना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

–वादी

बनाम्

1. दौलतराम पुत्र भूराराम जाति छिम्पा निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. अनिल कुमार पुत्र दौलतराम जाति छिम्पा निवासी नगराना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
3. मन्जु पुत्री दौलतराम जाति छिम्पा निवासी नगराना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। **–प्रतिवादीगण**

उपस्थित :–1. श्री सुनील कुमार टांड़ी – वकील वादी

2. श्री प्रदीप –वकील प्रति 1 ता 3

निर्णय **दिनांक :–**

वादी कालूराम ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणात्मक के तहत दिनांक 16/12/2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का का निवास का पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के व्यापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे अंकित है। कि वादी एव प्रतिवादी स 1 ता 3 आपस मे सयुक्त परिवार के सदस्य है प्रतिवादी स 1 वादी स 1 व प्रतिवादी स 2 व 3 के पिता है प्रतिवादी स 2 वादी का भाई है प्रतिवादी स 3 वादी की बहीन है। प्रतिवादी स 1 दौलतराम के नाम चक न 14 एस.बी.एन कि ज.स 2070–2073 के खाता स 51/57 मे 1.247है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनकी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। जो वादपत्र का आधार है। यह कि प्रतिवादी स 1 वादी व प्रतिवादी स 2 व 3 के पिता है। जो की एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। कि वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारनामा आपसी सहमति व रिश्तेदारो ने करवा दिया है उक्त बंटवारनामा के रोज से ही वादी व प्रविादीगण बंटवारनामा मे प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाघा के फसल काश्त करते आ रहे है प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि मे जो भी विरास्तन हक व हिस्सा बनता था उसको अपने पास नही रखना चाहते है इसलिए अपने उक्त हक व हिस्सा का त्याग मौखिक रूप से अपने भाई वादी क पक्ष मे कर दिया है कब्जा बाबत आपस मे कोई विवाद नही है उक्त कृषि भूमि मे इस प्रकार वादी को घरू बंटवारनामा मे निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्ज हुई है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी के हक व हिस्सा मे कृषि भूमि –

चक न	खाता सख्या	रकबा
14 एस.बी.एन	51/57	0.994है0

कि वादी व प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि मे जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी स 2 ता 3 के दादा एव प्रतिवादी स 1 के पिता स्व श्री भूराराम से विरासतन में प्राप्त हूई है। जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने आपस मे घरू बंटवारनामा कर लिया है उक्त बंटवारनामा के अनुसार हि वादी वाद पत्र की चरण स 4 मे वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त भूमि वादी प्रतिवादी स 2 ता 3 के पिता एव प्रतिवादी स 1 श्री दौलतराम के नाम होने के कारण वादी के हक व हकूक पर बुरा प्रभाव पड रहा है तथा सदैव झगडा होने का अन्देशा बना रहता है कारण वादी उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम की घोषण करवाना चाहता है। कि वादी को उक्त कृषि भूमि अपने दादा स्व भूराराम से विरास्तन मे प्राप्त हुई थी जिसमे वादी का जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है तथा वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य घरू बटवारनामा हो चूका है व उसी के मुताबिक वादी काबिज होकर बिना किसी बाघा के फसल काश्त करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि वादी के पिता दौलतराम के नाम होने के कारण वादी को भारी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है इसलिऐ वादी अपने नाम की घोषणा करवाने के हक मुस्त हक व दावेदार है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से वाद पत्र कि चरण स 4 मे वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे परन्तु कल उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है। कि वादी को उक्त कृषि भूमि का घरू बंटवारनामा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया गया तो वादी को कभी भी पूरा न होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूति धन रूप मे नही आंकी जा सकती है प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष मे है। कि प्रति स 4 को लैण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उनसे सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है कि वाद पत्र माननीय न्यायलय के क्षैत्राधिकार व श्रवणधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। लिहाजा वाद वादी पेश कर अर्ज है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि इस आश्य की घोषणा फरमाई जावे कि वादी को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार वादी को 14एस.बी.एन खाता स 51/57 मे दर्ज 0.994है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के पिता प्रतिवादी स 1 दौलतराम का हिस्सा कम किया जाकर वादी का नाम अकित किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 4 का ज्बाव दावा पेष हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जमाबंदी चक न 14 एस.बी.एन. ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 51/57 नहरी कृषि भूमि जो प्रदर्श 1 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि इस आश्य की घोषणा फरमाई जावे कि वादी को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार वादी को 14एस.बी.एन खाता स 51/57 मे दर्ज 0.994है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के पिता प्रतिवादी स 1 दौलतराम का हिस्सा कम किया जाकर वादी का नाम अकित किया जावे। प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 प्रदर्श किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि वादी को चक न 14एस.बी.एन ज.स 2070–2073 खाता स 51/57 मे दर्ज 0.994है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादी के पिता प्रतिवादी स 1 दौलतराम का हिस्सा कम किया जाकर वादी का नाम अकित किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 635/2022

वाद पत्र अं.धारा :– 88 आर.टी.ए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कालूराम छिम्पा पुत्र दौलतराम जाति छिम्पा निवासी नगराना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज0 **–वादी**

बनाम्

1. दौलतराम पुत्र भूराराम जाति छिम्पा निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. अनिल कुमार पुत्र दौलतराम जाति छिम्पा निवासी नगराना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
3. मन्जु पुत्री दौलतराम जाति छिम्पा निवासी नगराना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। **–प्रतिवादीगण**

दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील कुमार टांडी वकील वादी व श्री प्रदीप वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि वादी को चक न 14एस.बी.एन ज.स 2070–2073 के खाता स 51/57 मे दर्ज 0.994है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादी के पिता प्रतिवादी स 1 दौलतराम का हिस्सा कम किया जाकर वादी का नाम अकित किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज....×...नल.....×.....मुब्लिक....×....निल.....×.....बाबत.....×.....निल.....×..... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक .....×..अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/04/2023 जारी किया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया